28/06/23 निर्णय दिनांक 28.06.23 को पालना में वादी स्वयं द्वारा प्रार्थना पत्र मय स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये गये, स्टाम्प शुल्क शामिल पत्रा० हो। पत्रावली में पूर्व डिक्री जारी है। पत्रा० में अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है पत्रावली दायरा पंजिका के क्रम से कम की जावे निर्णय सूचि में शामिल हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रैक) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी– संजय कुमार, R.A.S
वाद संख्या 51/2023
अर्न्तगत धारा 88, 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

सुधीर पुत्र श्री नत्थू राम जाति बिश्नोई निवासी रोहिड़ावाली सुथारान तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)। ...... वादी

ब ना म

1. नत्थू राम पुत्र श्री गोपी राम जाति बिश्नोई निवासी रोहिड़ावाली सुथारान तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
2. श्रीमती मूर्ति देवी पत्नी श्री नत्थू राम जाति बिश्नोई निवासी रोहिड़ावाली सुथारान तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
3. पूनम रानी पुत्री श्री नत्थू राम पत्नी श्री मुकेश बिश्नोई जाति बिश्नोई नि0 3 एन एम नाहरांवाली तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
4. संतोष कुमारी पुत्री श्री नत्थू राम पत्नी श्री सुरेश जाति बिश्नोई नि0 3 एन एम नाहरांवाली तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर। ... प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री संजय जनवेजा (अधिवक्ता वादी)
श्री रोबिन गुम्बर (प्रति. संख्या 1 ता 4)
पैरोकार राज (प्रतिवादी–5)

दिनांक : 28 जून, 2023

–निर्णय–

वाद पत्र के तथ्यों के अनुसार वादी के पिता, प्रतिवादी सं. 1 नत्थू राम के नाम से वाके चक 1 पी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 7/7 का मुरब्बा नम्बर 12, 29 व 30 की कुल 2.822 हैक्टेयर नहरी बारानी कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा यानि 1.411 हैक्टेयर कृषि भूमि व इसी चक 1 पी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 29/24 का मुरब्बा नम्बर 12 व 44/33 की कुल 2.113 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि व इसी चक 1 पी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 56/13 का मुरब्बा नम्बर 18 व 30 की कुल 6.098 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि में से 145/3049 हिस्सा यानि 0.290 हैक्टेयर कृषि भूमि व इसी चक 1 पी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 65/65 का मुरब्बा नम्बर 9, 44/6 व 44/7 की कुल 6.323 हैक्टेयर नहरी बाग मय खाला कृषि भूमि में से 19/63230 हिस्सा कृषि भूमि व चक 3 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 85/65 का मुरब्बा नम्बर 33 की कुल 6.200 है0 नहरी मय खाला कृषि भूमि में से 213/620 हिस्सा यानि 2.130 हैक्टेयर कृषि भूमि व इसी चक 3 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 27/25 का मुरब्बा नम्बर 11 व 12 की कुल 6.324 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि में से 791/6324 हिस्सा यानि 0.791 हैक्टेयर कृषि भूमि दर्ज कागजात माल है। उक्त सम्पत्ति प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक सम्पत्ति है। जो कि प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पूर्वजों से विरासत में प्राप्तशुदा है तथा विरासतन प्राप्त सम्पत्ति की आय से अर्जित की हुई भूमि है। जो कि जद्दी जायदाद की परिभाषा में आती है। इस प्रकार उक्त सम्पत्ति प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक सम्पत्ति है तथा उक्त सम्पत्ति पैतृक सम्पत्ति होने के कारण वादी व प्रतिवादीया संख्या 3 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक व हिस्सा बनता है। प्रतिवादिया संख्या 3 व 4 शादीशुदा है तथा अपने घर में हसी खुशी आबाद है तथा वह वादी से अत्याधिक स्नेह व लगाव रखती है इसलिए उसने अपने हक वा हिस्सा का परित्याग वादी के पक्ष में किया हुआ है। प्रतिवादीगण ने अपनी स्वेच्छा वा सहमति से उक्त भूमि का वादी के साथ घरू मौखिक बंटवारा किया हुआ है तथा घरू मौखिक बंटवारा के अनुसार वादी को निम्न लिखित भूमि हिस्सा में प्राप्त हुई है:–वादी सुधीर को चक 3 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 85 का मुरब्बा नम्बर 33 की कुल 6.200 है0 नहरी मय खाला कृषि भूमि में से 213/620 हिस्सा यानि 2.130 हैक्टेयर कृषि भूमि। उक्त घरू बंटवारानामा अनुसार वादी अपने हिस्सा में आई हुई भूमि पर काबिज चला आ रहा है तथा मौका पर काश्त कर रहा हैं। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा

सहायक कलक्टर एवं
कार्यापालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

वादी से कहा हुआ है कि जब भी तुम चाहोगे, तुम्हारे हिस्सा की भूमि तुम्हारे नाम करवा देगें। इसी विश्वास पर वादी ने भारी मेहनत करके व काफी धन आदि खर्च करके अपने अपने हिस्सा के रकबा में सुधार कार्य करवाए हैं। वादी पढा लिखा व अग्रणी काश्तकार हैं तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर उन्नत खेती करना चाहता हैं, मगर कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दर्ज ना होने के कारण वादी सभी सुविधाओं से वंचित रहता हैं। कुछ दिन पूर्व वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से कहा कि वह वादी के हिस्सा की भूमि वादी के नाम से अमल दरामद करवा देवे, पहले तो प्रतिवादी संख्या 1 टाल मटोल करता रहा तथा दिनांक 01.05.2023 को उन्होने सहमति से बंटवारा करने से इन्कार कर दिया है। इसलिए वादी के पास माननीय न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया है। यही वाद कारण है। इस प्रकार वादी द्वारा भूमि, जो वाद पत्र में वर्णित है में से वादी को उसके हिस्सा अनुसार खातेदार घोषित किया जाने व पृथक से लगान कायम करने का आदेश फरमाने का निवेदन किया। वाद पत्र के तथ्यों के समर्थन में जमाबन्दी सम्बत 2071 से 2074 चक 1 पी बड़ी खाता संख्या 7, 29, 56, 65 व जमाबन्दी सम्बत 2071–2074 चक 3 एफ बड़ा का खाता संख्या 85/65 व इन्तकाल संख्या 189,19 संलग्न कर प्रस्तुत की गई। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 5 राज्य पक्ष की ओर से राज्यप्रतिनिधि उपस्थित। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा स्वंय उपस्थित आकर राजीनामा दिनांक 01.06.2023 प्रस्तुत किया। वादी की शिनाख्त अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा के द्वारा तथा प्रतिवादीगण की शिनाख्त अधिवक्ता श्री रोबिन गुम्बर के द्वारा की गई। प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 द्वारा हक परित्याग के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किए गए। इसके अतिरिक्त वादी एवं प्रतिवादीगण के पहचान के दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न कर प्रस्तुत की गई। अतः राजीनामा प्रमाणित किया गया।

प्रतिवादी संख्या 5 राज्य पक्ष की ओर से पैरोकार राज द्वारा जवाब वाद पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गई।

पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 01.06.2023 पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए प्रस्तुत बहस का मनन किया गया। ऐसी स्थिति में, वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत अभिलेख जमाबन्दी सम्बत 2071 से 2074 चक 1 पी बड़ी खाता संख्या 7, 29, 56, 65 व जमाबन्दी सम्बत 2071–2074 चक 3 एफ बड़ा का खाता संख्या 85 व इन्तकाल संख्या 189,19 के आधार पर एवम् पारिवारिक बंटवारा/राजीनामा अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण का वाद पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 01.06.2023 के अनुसार वादी सुधीर व प्रतिवादिया संख्या 2 श्रीमती मूर्ति देवी दोनों को चक 3 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 85/65 का मुरब्बा नम्बर 33 की कुल 6.200 है0 नहरी मय खाला कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 नत्थू राम के नाम से दर्ज 213/620 हिस्सा यानि 2.130 हैक्टेयर कृषि भूमि का बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जावे तथा तथा तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में से नत्थू राम का नाम कलमजन कर वादी तथा प्रतिवादिया संख्या 2 का नाम दर्ज कर अमल दरामद करें। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी तथा उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग–अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी। जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा। खर्चा फरीकैन अपना अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किए जाने पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 28 जून 2023 को जारी किया गया।

संजय कुमार
(आर. ए. एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर

डिक्री

(Order 20 Rule 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रैक) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– संजय कुमार R.A.S.

सुधीर पुत्र श्री नत्थू राम जाति बिश्नोई निवासी रोहिड़ावाली सुथारान तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)। .... वादी

ब ना म

1. नत्थू राम पुत्र श्री गोपी राम जाति बिश्नोई निवासी रोहिड़ावाली सुथारान तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
2. श्रीमती मूर्ति देवी पत्नी श्री नत्थू राम जाति बिश्नोई निवासी रोहिड़ावाली सुथारान तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
3. पूनम रानी पुत्री श्री नत्थू राम पत्नी श्री मुकेश बिश्नोई जाति बिश्नोई नि0 3 एन एम नाहरांवाली तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
4. संतोष कुमारी पुत्री श्री नत्थू राम पत्नी श्री सुरेश जाति बिश्नोई नि0 3 एन एम नाहरांवाली तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर। ... प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री संजय जनवेजा (अधिवक्ता वादी)
श्री रोबिन गुम्बर (प्रति. संख्या 1 ता 4)
पैरोकार राज (प्रतिवादी–5)

वाद संख्या 51/2023

अर्न्तगत धारा 88, 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक, श्रीगंगानगर द्वारा अधिवक्ता वादी श्री संजय जनवेजा, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 श्री रोबिन गुम्बर व पैरोकार राज प्रतिवादी संख्या 5 की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि:–

वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 01.06.2023 के अनुसार वादी सुधीर व प्रतिवादिया संख्या 2 श्रीमती मूर्ति देवी दोनों को चक 3 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 85/65 का मुरब्बा नम्बर 33 की कुल 6.200 है0 नहरी मय खाला कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 नत्थू राम के नाम से दर्ज 213/620 हिस्सा यानि 2.130 हैक्टेयर कृषि भूमि का बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जावे तथा तथा तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में से नत्थू राम का नाम कलमजन कर वादी तथा प्रतिवादिया संख्या 2 का नाम दर्ज कर अमल दरामद करें। अतः डिक्री जारी की जाती है। रूपये ....शून्य....वास्त....शून्य.....खर्चा इस प्रकरण पर हुए व्यय मय ब्याज...शून्य....दर रूपये.....शून्य..आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 28 जून 2023 को जारी की गई।

संजय कुमार
(आर. ए. एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वाद पत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनामा	00.00
स्टाम्प वकालतनामा	00.00	स्टाम्प आवेदन पत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय. साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	00.00	कुल	00.00

संजय कुमार
(आर. ए. एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner